



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16102025-266974
CG-DL-E-16102025-266974

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4577]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 16, 2025/आश्विन 24, 1947

No. 4577]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 16, 2025/ASVINA 24, 1947

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 2025

का.आ. 4706(अ).— भारत सरकार, संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग राजभाषा नियम, 1976 (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) के नियम 10 के उप नियम (2) और (4) के अनुसरण में “अपर महानिदेशक (दूरसंचार) का कार्यालय, बिहार एलएसए, पटना” जो भारत के राजपत्र में अधिसूचना के लिए अपेक्षित मानदंडों को पूरा करता है, के कार्यालय को एतद्वारा अधिसूचित करता है।

[फा. सं. ई-11016/01/2022 रा.भा.]

सुनील कुमार रंजन, उप महानिदेशक (समन्वय एवं प्रशासन)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS
(Department of Telecommunications)
NOTIFICATION

New Delhi, the 15th October, 2025

S.O.4706(E).—Government of India, Ministry of Communications, Department of Telecommunications in pursuance of Sub Rules (2) and (4) of Rule 10 of the Official Language Rules, 1976 (use for the official purposes of the Union) hereby notifies the "**O/o Addl DG (Telecom), Bihar LSA, Patna**", which fulfils the requisite criteria for notification in the Gazette of India.

[F. No. E-11016/01/2022 O.L.]

SUNIL KUMAR RANJAN, Dy. Director General (Coordination & Administration)